न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ जिला सीकर

बइजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या: 83/2022/दावा 136 एलआरएक्ट

मंगलचन्द उर्फ गोविन्दराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी सेसम तहसील दातारामगढ जिला सीकर (राज0)।

–वादी

ब ना म

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील दातारामगढ जिला सीकर (राज.)

–प्रतिवादी

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री नरेश पारीक वकील वादी की ओर से।

दिनांक – 26.12.2022

नि र्ण य

1 वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम सेसम तहसील दातारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि आराजियात ख.न. 681 रकबा 0.6600 हैक्टेयर व ख.नं. 677 ता 680, 682, 683 कुल किता 6 कुल रकबा 3.5200 हैक्टेयर एवं कृषि भूमियॉ ख.नं. 527 ता 530 कुल किता 4 कुल रकबा 6.1600 हैक्टेयर अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों के हिस्सा 5/72 का वादी काबिज काश्तकार एवं रिकार्डेड खातेदार दर्ज चला आ रहा है जिसकी पुष्टि रेवेन्यू रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 से भली–भांति हो रही है। वादी की बाल्यावस्था में ही वादी के पिता श्री नारायणराम का स्वर्गवास हो गया था। वादी कुल पांच भाई क्रमशः मोतीराम, धन्नाराम, जीवणराम, श्योजीराम, मंगलचन्द उर्फ गोविन्दराम है तथा चार बहिने जो विवाहित हो जाने से भाईयों के पक्ष में हक त्याग कर अपना नाम राजस्व रिकार्ड से हट चुका है। वादी के पांच भाईयों में से श्योजीराम, रामूराम पुत्र पोखर के गोद चला गया इसलिए इसका भी वादी के पिता स्व. नारायणराम की मृत्यु उपरान्त भरे गये विरासत में नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ अर्थात असने अपने भाईयों के पक्ष में हक त्याग कर दिया। शेष उतराधिकारियों का नाम आज भी विधिवत राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। परन्तु वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात उपरोक्त कृषि भूमियों में मृतक नारायणराम की विरासत का नामान्तकरण खोलते समय वादी जो बाल्यावस्था में था उसको घर पर भी मंगलचन्द ही कहते थे परन्तु

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

पटवारी हल्का ने सहवन से मंगलचन्द के स्थान पर गोविन्दराम पुत्र नारायणराम लिख दिया जबकि वादी का सही नाम मंगलचन्द पुत्र नारायणराम ही है जो वादी के पहचान सम्बंधी समस्त सरकारी दस्तावेजात क्रमशः परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, कक्षा 10 वी व 12 वी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की अंकतालिकाओं, मूल निवास प्रमाण पत्र, भामाशाह कार्ड, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की अंकतालिकाओं मे सही नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे वादी का नाम सहवन से गोविन्दराम पुत्र नारायणराम दर्ज हो जाने से वादी सरकारी योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, सहकारी समिति से सहायतायें लेने, विधुत कनेक्शन, कृषि ऋण इत्यादि से वंचित होना पडता है इसलिए यह दावा वास्ते रिकार्ड संशोधन श्रीमान के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वाद कारण आज से अर्सा करीब दस रोज पूर्व वादी द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय दांतारामगढ के यहाँ कार्यालय मे सम्पर्क कर रिकार्ड संशोधन हेतु पूछताछ की तो वादी को उक्त संशोधन हेतु श्रीमान के यहाँ दावा पेश करने की हिदायत देने पर वादी को दावा पेश किया जाना लाजिम आया है। अतः दावा पेश कर अंत मे यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 681 रकबा 0.6600 हैक्टेयर व ख.नं. 677 ता 680, 682, 683 कुल किता 6 कुल रकबा 3.5200 हैक्टेयर एवं कृषि भूमियाँ ख.नं. 527 ता 530 कुल किता 4 कुल रकबा 6.1600 हैक्टेयर वाके ग्राम रेसम प0ह0 भगतपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम गोविन्द राम पुत्र नारायण के स्थान पर मंगलचन्द पुत्र नारायण दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज नाम गोविन्द राम पुत्र नारायण के स्थान पर मंगलचन्द पुत्र नारायण दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

3 बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार खातेदार गोविन्दराम पुत्र नारायण जाति जाट को गोविन्दराम तथा मंगलचंद दोनो नामों से जाना पहचाना जाता है, खातेदार के दस्तावेज यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, 10, 12 वी की मार्कशीट में मंगलचन्द पुत्र नारायण दर्ज है, मंगलचन्द पुत्र नारायणराम तथा गोविन्दराम पुत्र नारायणराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम होना जांच में पाया गया है। अतः प्रार्थी के दस्तावेज, फर्द मौका जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का भगतपुरा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में मंगलचन्द उर्फ गोविन्दराम पुत्र नारायणराम किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 681 रकबा 0.6600 हैक्टेयर व ख.नं. 677 ता 680, 682, 683 कुल किता 6 कुल रकबा 3.5200 हैक्टेयर एवं कृषि भूमियॉ ख.नं. 527 ता 530 कुल किता 4 कुल रकबा 6.1600 हैक्टेयर वाके ग्राम सेसम प0ह0 भगतपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम गोविन्दराम पुत्र नारायणराम के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम मंगलचन्द उर्फ गोविन्दराम पुत्र नारायणराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/12/22

(प्रतिभा वर्मा IAS)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ